


# समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विज्ञापन संख्या - 05 / 2018-19

कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 2151 दिनांक 15.07.2015 के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिलाअंतर्गत विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत Service procurement के आधार पर मेघाक्रम के अनुसार शिक्षकों का पैनल निर्माण तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार चयन किया जाना है। अंशकालीन सेवा के लिए चयन हेतु योग्यताधारी बेरोजगार युवक/युवतियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आवश्यक अनुलग्नक सहित दिनांक-22.12.2018 तक जिला कल्याण कार्यालय, समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर-831001 के पते पर केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है :-

क्र०	विषय का नाम	विद्यालय का नाम	न्यूनतम योग्यता	परिलब्धि/ वृत्तिका
1	हिन्दी	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय उपरपावड़ा, घाटशिला एवं सबरनगर, पोटका के वर्ग 07 से 10 तक अध्यापन कार्य हेतु।	सम्बन्धित विषय में स्नात्कोत्तर/ स्नातक एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड०/ शिक्षक प्रशिक्षण। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, अधिकतम प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।	200/- रुपये प्रति घंटी, अधिकतम चार घंटी प्रतिदिन। एक सप्ताह में अधिकतम पाँच कार्य दिवस।
	अंग्रेजी			
	संस्कृत			
	गणित			
	विज्ञान			
	इतिहास			
	भुगोल			
	अर्थशास्त्र			
शारीरिक शिक्षण				
2	सभी विषय हेतु	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय उपरपावड़ा, घाटशिला, सबरनगर, पोटका एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय, लालकोटा सिंहपुरा के वर्ग 01 से 06 तक अध्यापन कार्य हेतु।	मान्यता प्राप्त संस्थान से डी०ईएल०ईडी/ प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, अधिकतम प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।	

- सभी पदों के चयन में सरकार के आरक्षण प्रावधान का पालन किया जाएगा, शिक्षकों से कार्य एकरारनामा के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें उसी प्रखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला शिक्षकों तथा स्थानीय भाषा के जानकार को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रखण्ड स्तर पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाये जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थी से चयन किया जायेगा।
- आवश्यकतानुसार विषय के आधार पर चयन किया जायेगा।
- सभी चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। वे किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे। यह पद स्थानांतरणीय नहीं होगा। चयनित शिक्षकों को विद्यालय में आवासन की सुविधा नहीं दी जायेगी। दैनिक उपस्थिति के आधार पर किये गये अध्यापन कार्य के आलोक में वृत्तिका का भुगतान किया जायेगा।
- आवश्यकतानुसार चयनित शिक्षकों को अधिकतम 06 माह के लिए प्रति घंटी के आधार पर रखा जायेगा। चयनित अभ्यर्थी भविष्य में किसी भी विभागीय रिक्ति के विरुद्ध अंतर्लीकरण के अधिकारी नहीं होंगे।
- आवेदन विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्रपत्र पूरा भरा होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- वांछित सभी प्रमाण पत्र यथा- जाति, निवास, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता एवं कार्यानुभव प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
- आवेदन हेतु विहित प्रपत्र पूर्वी सिंहभूम जिला के वेबसाइट [www.jamshedpur.nic.in](http://www.jamshedpur.nic.in) से प्राप्त किया जा सकता है।

  
 परियोजना निदेशक,  
 आई०टी०डी०ए०,  
 पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

# कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालयों में Service procurement के आधार पर शिक्षण कार्य हेतु आवेदन पत्र।

स्व-अभिप्रमाणित  
पासपोर्ट साईज  
का अद्यतन फोटो

- 1- आवेदित आवासीय विद्यालय का नाम : .....
- 2- आवेदित विषय : .....
- 3- आवेदक/आवेदिका का नाम : .....
- 4- पिता/पति/अभिभावक का नाम : .....
- 5- कोटि(अ0ज0जा0 / अ0जा0 / पिछड़ी) : .....
- (जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य)
- 6- लिंग : .....
- 7- जन्म तिथि : .....
- 8- उम्र 01.12.2018 को : वर्ष ..... माह ..... दिन .....
- 9- स्थायी पता : .....
- (स्थानीय निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य)
- प्रखंड- .....
- जिला- .....
- 10- वर्तमान पता : .....
- प्रखंड- .....
- जिला- .....
- 11- आवेदक का फोन नं0 : .....
- Email ID : .....
- 12- शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

- 13- अन्य योग्यता (यदि कोई हो) : .....
- 14- अनुभव, प्रमाण पत्र के साथ : .....

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

मैं घोषणा करता /करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचना सत्य है। किसी प्रकार का त्रुटि पाये जाने पर मेरा चयन निरस्त किया जा सकता है एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान-  
दिनांक-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर